संख्या- 30/1031/बयालिस-2016-210(विविध)/2012

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2016**

विषय- जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 158/नि0 रामपुर स्पो0काम्प0पत्रा0/2015-16, दिनांक 24 मई, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 1431/बयालिस-2015-210(विविध)/2012, दिनांक 15.06.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1552.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 235/बयालिस-2016-210(विविध)/2012, दिनांक 24.02.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 448.00 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के फर्स्ट फेज के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 3880.04 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2016-17 में अवशेष धनराशि रू0 1880.04 लाख (रू0 अठारह करोड़ अस्सी लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1880.04 लाख (रू0 अठारह करोड़ अस्सी लाख चार हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत् न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तवित है।

(6)- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- शासनादेश संख्या- 1431/बयालिस-2015-210(विविध)/2012, दिनांक 15 जून, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 235/बयालिस-2016-210(विविध)/2012, दिनांक 24 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(8)- कार्य की विशिष्टियां मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जाय।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या- 30/1031(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, रामपुर।
5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस जल निगम लखनऊ।
6- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, मुरादाबाद।
7- क्रीड़ाधिकारी, रामपुर।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।